



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752 ]

No. 752]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2003/श्रावण 30, 1925

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2003/SRAVANA 30, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2003

का.आ. 955(अ).—केन्द्र सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड की सलाह पर, एतद्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में, दिनांक 10-1-2003 की भारत सरकार की अधिसूचना, का.आ. 32(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 18 और संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामशः :—

18 डा. पी. के. दवे  
ए-8, सेक्टर-26,  
नोएडा-201301 (उ.प्र.)

—सदस्य

[पत्र. सं. 25/1/2003-ए.डब्ल्यू.डी.]

एम. साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—पशुओं पर प्रयोग पर नियंत्रण एवं निगरानी के उद्देश्य से गठित समिति के संबंध में पूर्व में निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई थीं :—

- (1) सं. सा.का.नि. 238 दिनांक 8-2-1991
- (2) सं. 7-7/94 ए डब्ल्यू दिनांक 23-2-1996
- (3) सं. का.आ. 140(अ) दिनांक 17-2-2000
- (4) सं. का.आ. 547(अ) दिनांक 25-5-2000
- (5) सं. का.आ. 894(अ) दिनांक 7-9-2001
- (6) सं. का.आ. 32(अ) दिनांक 10-1-2003
- (7) सं. का.आ. 599(अ) दिनांक 26-5-2003

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2003

**S.O. 955(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, S.O. 32(E) dated 10-1-2003. In the said notification after Serial No. 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

18 Dr. P. K. Dave,  
A-8, Sector-26,  
Noida-201 301 (U.P.)

—Member

[F.No. 25/1/2003-AWD]

M. SAHU, Jr. Secy.

**Note :—**The following notifications were issued earlier in relation to the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals :—

- (1) No. G.S.R. 238 dated 8-2-1991
- (2) No. 7-7/94 AW dated 23-2-1996
- (3) No. S.O. 140(E) dated 17-2-2000
- (4) No. S.O. 547(E) dated 25-5-2000
- (5) No. S.O. 894(E) dated 7-9-2001
- (6) No. S.O. 32(E) dated 10-1-2003
- (7) No. S.O. 599(E) dated 26-5-2003